कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोवस्त मध्य प्रदेश

क्रमांक 626/10परीक्षा/पट0प्रशि0/2017 ग्वालियर दिनांक 8/3/2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर
(भू–अभिलेख)
मध्य प्रदेश

विषयः–अनुकम्पा के आधार पर /माननीय न्यायालय के निणर्य के पालन में पटवारी प्रशिक्षण की अनुमति प्राप्त उम्मीदवारो के लिये दिनांक 3 अप्रेल 2017 से प्रारंभ नवीन प्रशिक्षण सत्र में अनुमति प्रदान करने बावत।

आपके जिले के अनुकम्पा के आधार पर /माननीय न्यायालय के निणर्य के पालन में पटवारी प्रशिक्षण की अनुमति प्राप्त उम्मीदवारो के लिये दिनांक 3 अप्रेल 2017 से प्रारंभ नवीन पटवारी प्रशिक्षण सत्र राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर में आयोजित किया जा रहा है।जिसमें आपके द्वारा अनुशंसित निम्नांकित उम्मीदवारो को पटवारी प्रशिक्षण में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	प्रशिक्षणार्थी का नाम/पिता का नाम /जिला	विवरण
1	2	3
1	श्री गगन सिंह तोमर/ स्व श्री शिशुपाल जिला मुरैना	अनुकम्पा
2	श्री महेन्द्र कुमार /स्व0 श्री जस्सूलाल अहिरवार जिला छतरपुर	अनुकम्पा
3	श्री सौरभ चौहान/स्व0 श्री राधेश्याम जिला रायसेन	अनुकम्पा
4	श्री वत्स त्यागी/स्व0 श्री अरूण कुमार जिला मुरैना	अनुकम्पा
5	श्री रितेश पाटिल/स0 श्री विजय पाटिल जिला वुरहानपुर	अनुकम्पा
6	श्री टापेश्वर /स्व0 चन्द्रप्रकाश टेम्भरे जिला सिवनी	अनुकम्पा
7	श्री रामबावू दांगी/स्व0 श्री राम प्रकाश जिला राजगढ	अनुकम्पा
8	श्री अरविन्द्र कुमार सेन/स्व0 श्री कुअरलाल जिला अशोकनगर	अनुकम्पा
9	श्री सचिन कुमार उपाध्याय/स्व0श्री व्ही0पी0 उपाध्याय जिला बैतूल	अनुकम्पा
10	कु0 अर्चना प्रजापति जिला राजगढ	न्यायालय प्रकरण
11	कु0 मोना शर्मा शिवपरी	न्यायालय प्रकरण
12	श्री जितेन्द्र राय जिला डिण्डौरी	न्यायालय प्रकरण
13	कु0 सविता सोनी जिला डिण्डौरी	न्यायालय प्रकरण
14	श्री देववृत राजपूत जिला डिण्डौरी	न्यायालय प्रकरण

2. इसके अतिरिक्त आपके जिले में अनुकम्पा के आधार पर /माननीय न्यायालय के निणर्य के पालन में आगामी पटवारी प्रशिक्षण की अनुमति प्राप्त कोई उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु शेष है तो उसे भी प्रशिक्षण में भेजा जा सकता हैं।

3. किसी भी प्रशिक्षणार्थी को भू–अभिलेख नियमावली भाग 1 अध्याय 2 की कण्डिका 2 (2) अनुसार प्रशिक्षण प्रारंभ होने के दिनांक 3 अप्रेल 2017 से 30 दिन की निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रशिक्षण शाला मे प्रवेश न दिया जावेगा।

4. प्रशिक्षण के दौरान किसी भी पटवारी प्रशिक्षणार्थी को अनिवार्य परिस्थितियों को छोडकर अन्य साधारण परिस्थितियों में अवकाश की स्वीकृति नही दी जावेगा।

5. भू–अभिलेख नियमावली भाग 1 अध्याय 2 की कण्डिका 22 अनुसार निर्धारित 75 प्रतिशत से कम होने पर उन्हें पटवारी वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नही की जावेगी। जिसके लिये संबंधित प्रशिक्षणार्थी जिम्मेदार होगा।

6. प्रशिक्षण संस्थान में फिलहाल छात्रावास की व्यवस्था नही है। प्रशिक्षणार्थियों को अपने निवास की स्वयं व्यवस्था करनी होगी। यदि प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले संस्थान द्वारा उक्त व्यवस्था करली जाती है, तो यह उपलब्ध करा दी जावेगी। इस बावत 'प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण संस्थान के अनुदेशक श्री लोकेश आहूजा (मो0नं0 9301088901)से सम्पर्क कर सकते है।

कृपया संबंधित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण शाला में तत्काल उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। समयावधि में प्रशिक्षणार्थी के उपस्थित न होने पर उनकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जावेगी। जिस पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आयुक्त
भू–अभिलेख एवं बन्दोवस्त
मध्य प्रदेश

पृ0कमांक 626/10 परीक्षा/पट0प्रशि0/2017 ग्वालियर दिनांक 8/3/2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्राचार्य राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया निर्धारित अवधि में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार के संबंध में संबंधित जिले एवं इस कार्यालय को भी अवगत करावें।
3. समस्त क्षैत्रीय उप आयुक्त भू–अभिलेख की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी अनुभाग स्थापना एक/15 न्यायालय की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
भू–अभिलेख एवं बन्दोवस्त
मध्य प्रदेश